भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2890

10.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना

2890. **श्री जुगल किशोरः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के कार्यान्वयन की प्रगति तथा सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत ई-बसों के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत स्थापित भुगतान सुरक्षा तंत्र और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत बसों की तैनाती और संचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा और योजना के तहत प्रदान की जाने वाली परिचालन सहायता की अवधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने पीटीए द्वारा चूक की स्थिति में देय राशि की वसूली के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 'डायरेक्ट डेबिट मैंडेट' तंत्र के संचालन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम स्कीम 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण निम्न है:

i. स्कीम के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित किए गए।
ii. 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 10.12.2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रत्यक्ष डेबिट जनादेश (डीडीएम) प्रस्तुत किया है।
iii. दिनांक 28.02.2026 तक, पीएम-ईबस सेवा स्कीम के अंतर्गत 6,228 बसों के लिए निविदाएं संपन्न हो चुकी हैं।
iv. सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4720 बसों के लिए अनुबंध पत्र जारी किए जा चुके हैं।
v. पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
vi. वित्त वर्ष 25-26 में पीएसएम फंड की स्थापना के लिए सीईएसएल को 500 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

आवंटित ई-बसों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**बसों की संख्या**		
		पीएम ई-ड्राइव (एमएचआई)	**पीएम-ईबस सेवा (एमओएचयूए)**	**कुल**
1	गुजरात	1,800	750	2,550
2	कर्नाटक	4,500	750	5,250
3	महाराष्ट्र	2,500	1,609	4,109
4	तेलंगाना	2,200	151	2,351
5	दिल्ली	2,800	-	2,800
6	आंध्र प्रदेश	-	1,050	1,050
7	मध्य प्रदेश	-	972	972
8	मेघालय	-	55	55
9	ओडिशा	-	400	400
10	पंजाब	-	447	447
11	पुडुचेरी	-	75	75
12	राजस्थान	-	1,150	1,150
13	जम्मू और कश्मीर	-	200	200
14	असम	-	100	100
15	उत्तराखंड	-	137	137
16	मणिपुर	-	50	50
17	अरुणाचल प्रदेश	-	50	50
18	गोवा	-	50	50
19	हरियाणा	-	450	450
20	बिहार	-	400	400
21	छत्तीसगढ़	-	240	240
22	केरल	-	293	293
23	हिमाचल प्रदेश	-	50	50
24	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	50	50
25	चंडीगढ़	-	428	428
26	लद्दाख	-	48	48
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	45	45
	कुल	**13,800**	**10,000**	**23,800**

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) इस स्कीम के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंधन करती है। सीईएसएल रियायत समझौतों और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करेगा। सीईएसएल राष्ट्रीय स्तर पर सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत निधि वितरण और ई-बस संचालन के एकीकरण के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

(ग): पीएसएम स्कीम के तहत तैनात प्रत्येक बस के लिए 12 वर्षों तक भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाता है। आमतौर पर, बसों की तैनाती की समयसीमा पीटीए और ओईएम के बीच सीए पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो वर्ष मानी जाती है।

(घ): 02.03.2026 तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) प्रस्तुत किया है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों या तो भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव स्कीम या आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पीएम-ई-बस सेवा स्कीम के अंतर्गत भाग ले चुके हैं।

*****